

श्रीराम - श्रीराम - 22/20

दिनांक

आज्ञा पत्र

10-11-22

अज्ञात पेश। प्रकरण में रैस्पोंडेंट की तामील शेष
बुद्ध हेतु अपीलेंट रोब रैस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस
अज्ञात ही पेश करें। जो पेश होने पर जर्नी हो। ताकि
अज्ञात का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सक
पत्रावली करते बल्लो रिकार्ड दिनांक 8.12.22 को
पेश हो।

पुनः 9.12.22 को पेश किया गया 9.12.22
09R5 CPC के अन्तर्गत 9.12.22 को पेश किया

8.12.22

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज
न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर
आज्ञानसाग दिनांक 8.12.22 को पेश हो

9.1.23

पत्रावली पेश। वकील अपीलेंट को पूर्व पेशी पर हदायत दी गई थी
आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रैस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें
अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज
कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलेंट ने रैस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस
पेश नहीं किये गये हैं। इच्छा स्पष्ट है कि अपीलेंट अपनी अपील के प्रति गम्भीर
नहीं है। कतमकत अपील अपीलेंट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज
की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार लेकर नम
से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।



भ-प्रबन्ध अधिकारी एवं